रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259978
CG-DL-E-06012025-259978

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946
No. 97]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

(आयकर)

का.आ. 99(अ).— आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 206ग की उप-धारा (1ज) के *स्पष्टीकरण* के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्दिष्ट करती है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई को विक्रेता से माल की खरीद के संबंध में उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन खरीदार नहीं माना जाएगा, अर्थात्: -

(क) क्रेता -

(i) इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 1क में (इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रपत्र के रूप में संदर्भित) एक विवरण-सह-घोषणा विक्रेता को प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन दस लगातार कर निर्धारण वर्षों से संबंधित पिछले वर्षों का ब्यौरा दिया जाएगा, जिनके लिए क्रेता उक्त अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है ; और

(ii) इस प्रकार प्रस्तुत किया गया ऐसा विवरण-सह-घोषणा, उन दस लगातार निर्धारण वर्षों से संबंधित प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए, जिसके लिए क्रेता उक्त अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के

तहत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है, उक्त प्रपत्र में निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित किया जाएगा ;

(ख) विक्रेता -

(i) क्रेता से उक्त प्रपत्र में विवरण-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् क्रेता से प्राप्त भुगतान पर कर एकत्रित नहीं करेगा; तथा

(ii) आयकर नियम, 1962 के नियम 31कक के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 206ग की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कर संग्रहण विवरण में इस अधिसूचना के अनुसरण में क्रेता से प्राप्त सभी भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिन पर कर संग्रहित नहीं किया गया है।

2. इस अधिसूचना के तहत छूट क्रेता को केवल उन पिछले वर्षों के दौरान उपलब्ध होगी जो क्रेता द्वारा उक्त प्रपत्र में घोषित दस लगातार निर्धारण वर्षों के लिए प्रासंगिक हैं, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 80ठक के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है और विक्रेता किसी अन्य वर्ष के लिए प्राप्त भुगतान पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) सभी परिस्थितियों में "क्रेता" उक्त अधिनियम की धारा 80ठक के *स्पष्टीकरण* के उप-खंडोें (क) और (घ) के अर्थ के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई रहेगा ; और

(ख) अभिव्यक्तियाँ-

(i) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है;

(ii) "विक्रेता" का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 206ग की उप-धारा (1ज) के *स्पष्टीकरण* के खंड (ख) में दिया गया है ; और

(iii) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में दिया गया है।

4. प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, आंकड़ों के सुरक्षित अधिग्रहण और संचरण तथा दस्तावेजों को अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं, प्रारूप और मानक निर्धारित करेंगे तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियां तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

5. यह अधिसूचना जनवरी माह के प्रथम दिन, 2025 को लागू होगी ।

प्रपत्र संख्या 1क

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ('क्रेता')की किसी इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई ('विक्रेता') को प्रस्तुत किया जाना है।

(1) करदाता का नाम:

(2) स्थायी खाता संख्या:

(3) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई का नाम और पता:

(4) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त अनुमति की तिथि या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत अनुमति या पंजीकरण या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत अनुमति या पंजीकरण या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) में उल्लिखित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रासंगिक कानून के अंतर्गत अनुमति या पंजीकरण।

विवरण-सह-घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री……….. की हैसियत से, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इकाई .... के व्यवसाय में लगी हुई है और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठक की उप-धाराओं (1क) और (2) के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई ने निर्धारण वर्ष (.........) से संगत पिछले वर्ष...... से निर्धारण वर्ष (..........) से संबंधित पिछले वर्ष...... तक की अवधि के लिए उक्त कटौती का दावा करने का विकल्प चुना है। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत इकाई बनी हुई है और वर्ष .... (निर्धारण वर्ष .... से संबंधित) के दौरान .... के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसमें यह विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है।

सत्यापन

मैं........ पुत्र/पुत्री.........की हैसियत से प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही एवं पूर्ण हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(उक्त अधिनियम की धारा 140 के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी पर हस्ताक्षर करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु)

[सं. 6/2025/फा.सं. 275/108/2024- आयकर(बजट)]

रूबल सिंह, उप सचिव (आयकर-बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2025

(INCOME-TAX)

S.O. 99(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of the *Explanation* to sub-section (1H) of section 206C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby specifies that a Unit of International Financial Services Centre shall not be considered as buyer for the purposes of the said sub-section in respect of purchase of goods from a seller, subject to the following conditions, namely: -

(a) the buyer shall –

(i) furnish a statement-cum-declaration in Form No. 1A annexed to this notification (hereinafter referred to as the said Form) to the seller giving details of previous years relevant to the ten consecutive assessment years for which the buyer opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the said Act; and

(ii) such statement-cum-declaration so furnished shall be verified in the manner specified in the said Form, for each previous year relevant to the ten consecutive assessment years for which the buyer opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the said Act;

(b) the seller shall –

(i) not collect tax on payment received from the buyer after the date of receipt of copy of statement-cum-declaration in the said Form from the buyer; and

(ii) furnish the particulars of all the payments received from the buyer on which tax has not been collected in pursuance of this notification in the statement of collection of tax referred to in sub-section (3) of section 206C of the said Act read with rule 31AA of the Income-tax Rules, 1962.

2. The relaxation under this notification shall be available to the buyer only during the said previous years relevant to the ten consecutive assessment years as declared by the buyer in the said Form for which deduction under section 80LA of the said Act is being opted and the seller shall be liable to collect tax on payments received for any other year.

3. For the purposes of this notification, –

(a) the "buyer" under all circumstances shall remain an International Financial Services Centre Unit within the meaning of sub-clauses (a) and (d) of the *Explanation* to section 80LA of the said Act; and

(b) the expressions-

(i) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(ii) "seller" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of the *Explanation* to sub-section (1H) of section 206C of the said Act; and

(iii) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

4. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

5. This notification shall come into force on 1st day of January, 2025.

FORM NO. 1A

To be furnished by a Unit of International Financial Services Centre ('buyer') to a Unit of International Financial Services Centre ('seller')

(1) Name of the assessee:

(2) Permanent Account Number:

(3) Name and address of the Unit of International Financial Services Centre:

(4) Date of permission obtained under clause (a) of sub-section (1) of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or permission or registration under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or permission or registration under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) or any other relevant law for the time being in force, as mentioned in sub-section (1A) of section 80LA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

STATEMENT-CUM-DECLARATION

I .... son/daughter of....................................in capacity, do hereby declare that the above-mentioned Unit is engaged in the business of ………………… and is eligible for deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). I further declare that the above mentioned International Financial Services Centre Unit has opted to claim the said deduction for the period from the previous year...... relevant to assessment year.... to the previous year.... relevant to assessment year…… I further declare that

the above mentioned Unit continues to be a unit working in International Financial Services Centre and continues to be engaged in the business of ………… during the year ……………… (relevant to Assessment Year ………..….) in which this statement-cum- declaration is being submitted.

Verification

I………………….son/daughter of ……………..in capacity………. do hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Signature of the declarant

(To be signed by a person competent to sign the return of income as provided in section 140 of the said Act)

[No. 6/2025/F. No. 275/108/2024-IT(B)]

RUBAL SINGH, Dy. Secy. (IT-Budget)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.06 23:02:35 +05'30'